

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 1011 / 14-10, अलीगढ़: दिनांक: सितम्बर, 30, 2020

सेवा में,

वन संरक्षक,  
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

विषय:-

कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0-105) किमी0 चैनेज 9.10 की दांयी पटरी पर ग्राम-हरदुआगंज के खसरा सं0- 176 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0783 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 01 वृक्ष के पातन की अनुमति।

संदर्भ:-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक 207/11-सी-अलीगढ़/14131/ 2015 दिनांक 28.07.2020 एवं आपका पत्रांक 273/14-1 दिनांक 29.07.2020 ,

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में संदर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रस्ताव में लगायीं गयीं आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार कर संशोधित प्रस्ताव 04 प्रतियों में संस्तुति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

S.No.	Observation	REPLY
1	दण्डात्मक स्वरूप जमा की जाने वाली धनराशि की गणना संलग्न की गयी है, किन्तु गणना भारत सरकार के पत्र दिनांक 29.01.2018 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नहीं की गयी है, जोकि त्रुटिपूर्ण है।	दण्डात्मक स्वरूप जमा की जाने वाली धनराशि की संशोधित गणना संलग्न कर प्रेषित है। (प्रस्ताव पृष्ठ सं0 64)

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एन0पी0 उपाध्याय)

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक 1011 / दिनांकित।

प्रतिलिपि: डिवीजनल मैनेजर, नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0), वर्ल्ड ट्रेड टावर, 1105-06, ग्यारवां तल, सेक्टर-16, नोएडा-201309 (उ0प्र0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एन0पी0 उपाध्याय)

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।